

2014/204

3/14 सच्चिदानंद / रामेश्वर

दिनांक आज्ञा पत्र

27.11.19

पत्रावली प्रस्तुत अभिभावक सच न आज्ञा पत्र उपरोक्त/आदेश
कादालाए जा रिफाउंड लक्षण है/पत्राव
लिखा 29.1.20 को पेश है।

✓

29-1-20

पत्रावली पेश। वकील लायफ़ रीकॉन्ड उपरोक्त
तहत का रिफाउंड तलब है। पत्रावली दिनांक
11-3-20 को पेश है।

✓

11-3-20

पत्रावली प्रस्तुत अभिभावक सच न आज्ञा
न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूरा
आज्ञानुसार दिनांक..... को पेश हो।

27-5-20

27.5.20

DUE TO LOCKDOWN FILE PUT
ON DATE AT 29.7.20

READER

29-7-20

पत्रावली प्रस्तुत अभिभावक सच न आज्ञा
न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूरा
आज्ञानुसार दिनांक 7-10-20 को पेश हो।

7.10.20

पत्रावली प्रस्तुत अभिभावक सच न आज्ञा
न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूरा
आज्ञानुसार दिनांक 9.12.20 को पेश हो।

9-12-20

पत्रावली प्रस्तुत अभिभावक सच न आज्ञा
न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूरा
आज्ञानुसार दिनांक 10-2-21 को पेश हो।

102-4

पत्रावली पेश। वकील अपील को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि
आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेसोर्टेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करे
अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 जी.पी.सी. के तहत अपील खारिज
कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपील ने रेसोर्टेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस
पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपील अपनी अपील के प्रति गम्भीर
नहीं है। फलस्वरूप अपील अपील आदेश 9 नियम 5 जी.पी.सी. के तहत खारिज
की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौजदारी नुमांदा होकर नम्बर
से कम होकर बाद तारीख तामील दाखिल दफतर हो।

✓

भू-बन्ध अधिकारी एवं

